तालाब में डूबे चार बच्चों की मौत पर हाई कोर्ट सख्त

सख्ती ● मुख्य सचिव से मांगा व्यक्तिगत हलफनामा, जनहित याचिका पर 29 जुलाई को अगली सुनवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: जांजगीर-चांपा जिले में तालाब में डूबने से चार बच्चों की मौत के मामले को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस विभु दत्त गुरु की डिवीजन बेंच ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार के मुख्य सचिव से व्यक्तिगत शपथ पत्र के रूप में जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर लिया है। मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी।

यह हादसा बीते शनिवार को बलोदा थाना क्षेत्र के भैंसतरा गांव में हुआ था, जब स्कूल से लौटते समय

तालाब में नहाने गए भाई-बहन सहित चार बच्चों की डूबकर मौत हो गई थी। इस हृदयविदारक घटना को लेकर कोर्ट ने गहरी चिंता व्यक्त की।

चीफ जस्टिस ने की कड़ी टिप्पणी

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सिन्हा ने कहा कि, कितनी गलत बात है कि स्कूल से लौटते वक्त चार बच्चे पानी में डूब जाते हैं। यह सिर्फ स्वजनों की नहीं, सरकार की भी जिम्मेदारी है। कोर्ट ने इस दौरान कांकेर जिले की एक और घटना पर भी टिप्पणी की। उस घटना में स्कूली बच्चों को जान जोखिम में डालकर नाला पार करते हुए स्कूल जाना पड़ रहा है। दोनों घटनाओं को मीडिया रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लिया। कोर्ट ने राज्य शासन को बच्चों की सुरक्षा को लेकर ठोस नीति और व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में तत्परता से कदम उठाने की आवश्यकता जताई है। मुख्य सचिव से स्पष्ट और तथ्यों पर आधारित जवाब मांगा गया है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए अभी तक क्या किया गया है और भविष्य में क्या किया जाएगा।

मार्शल भर्ती के लिए आदेश का पालन नहीं हाई कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा में सहायक मार्शल पद की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता को लेकर दायर याचिका के मामले में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का पालन नहीं करने पर याचिकाकर्ता अबरार अली ने विधानसभा सचिव को अंतिम नोटिस जारी किया है। इसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि 15 दिनों के भीतर आदेश का पूर्ण पालन नहीं किया गया तो हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की जाएगी।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि हाई कोर्ट ने 24 जून 2024 को भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे, लेकिन आज तक विधानसभा द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। नोटिस में उल्लेख किया गया है कि कोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ता से संबंधित चयन प्रक्रिया आदेश की प्रति प्राप्त होने के चार माह के भीतर पूरी

की जाए। विधानसभा की ओर से कोर्ट में यह भी कहा गया था कि चयन प्रक्रिया तय समयसीमा में पूरी कर ली जाएगी, लेकिन अब तक कोई सूचना नहीं दी गई है। नोटिस में यह भी लिखा गया है कि, यह न्यायालय के आदेश की प्रत्यक्ष अवहेलना है और इससे न्याय व्यवस्था की गरिमा प्रभावित होती है। याचिकाकर्ता ने विधानसभा सचिव से आग्रह किया है कि आदेश का पूरी तरह पालन करते हुए चयन प्रक्रिया को तत्काल पूर्ण किया जाए और इसकी सूचना प्रदान की जाए।

हाई कोर्ट की अवमानना पर सख्त रुख

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट अब न्यायालयीन आदेशों की अवहेलना के मामलों में सख्त हो गया है। तय प्रावधानों के अनुसार, यदि अवमानना का आरोप सिद्ध होता है तो संबंधित व्यक्ति को छह महीने की जेल, दो हजार रुपये जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ भुगतनी पड़ सकती हैं। हाल ही में एक अन्य मामले में महासमुंद एसपी के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की गई है। कांस्टेबल याचिकाकर्ता ने अपने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय के माध्यम से याचिका लगाते हुए हाई कोर्ट से सख्त कार्रवाई की मांग की है।